

ACP

E:\NSY\Establishment\A4\A4 Order 234

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ.1(3) 2 ( )/स्था/आईसीडीएस/2013 4609


जयपुर, दिनांक: 8/1/19

आदेश

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1.	श्री जीवणा	बाविपअ,रेलमगरा,(राजसमंद)	05.08.1959	31.08.2019
2	श्री देवकरण गुर्जर	बाविपआ,मालपुरा,(टोंक)	08.07.1959	31.07.2019
3	श्री मानसिंह	बाविपअ,नदबई,(भरतपुर)	05.07.1959	31.07.2019
4	श्री दोला मीणा	बाविपअ, सागवाड़ा द्वितीय (डूंगरपुर)	08.08.1959	31.08.2019
5	श्री बट्टी	बाविपअ, टोंक शहर (टोंक)	02.04.1959	30.04.2019


इनके विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जावेगा।

  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(3) 2 ( )/स्था/आईसीडीएस/2013 4610-631

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, भरतपुर/टोंक/उदयपुर।
3. उप निदेशक (WFP)/सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय।
4. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. उपनिदेशक, टोंक/भरतपुर/राजसमंद/डूंगरपुर।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवायें, रेलमगरा,(राजसमंद)/ मालपुरा (टोंक)/ नदबई (भरतपुर)/ सागवाड़ा द्वितीय (डूंगरपुर)/ टोंक शहर (टोंक)।
7. सम्बन्धित श्री.....चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी .....
8. व्यक्तिगत पत्रावली।

  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।